भूमिका

आदिवासी इस देश का मूलनिवासी है और इनके उत्थान के लिए सरकार अलग-अलग योजनाएं बनाकर उसको क्रियान्वयन करने का प्रयास कर रही है, किन्तु कुछ योजना सफल होती है तो कुछ असफल भी होती है। वे चाहकर भी अपना विकास कर नही पाते हैं। आदिवासीयों की संस्कृति अस्मिता एवं उनका साहित्य एक अलग पहचान कराती हैं। उनके क्षेत्रों में जाना और उनका विकास करना असंभव हैं। भारतीय संविधान में आदिवासियों के विकास के लिए विविध प्रावधान है फिर भी राजनीतिक कारणों से उनका विकास नही हो रहा है। अधिकारी अपना रुबाब ज़माने में लगे हैं, सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों पर जोर जबरदस्ती कर रही हैं। सरकार अपने हिसाब से विकास करना चाहती है और विकास के नाम पर चंद उद्योगपतियों को फायदा दिलाना चाहती हैं। जिसके कारण आदिवासियों की उपजीविका के साधन खत्म होते जा रहे है उसके चलते आज आदिवासी आर्थिक संकट में है। आज आधुनिक युग में आदिवासी अपना संतुलन बनाने में असक्षम हो रहा है। उद्योगपति अपना व्यवसाय इन आदिवासीयों के जमीन पर खड़ा कर दिया है, जिससे आदिवासियों का पारंपरिक संसाधन का बाजार में मूल्य न के बराबर हो गया है। आदिवासियों को उनके ही जल,जंगल,जमीन, से बेदखल की जा रही है। आदिवासियों की जमीने लुटी जा रहीं आदिवासी क्षत्रों में गौण उपजों की लुट हो रहीं हैं और सरकार उसे विकास का नाम दे रहीं, इसलिए स्थानीय आदिवासी भी उनका सहयोग नही कर रही है। इन कारणों से आदिवासियों में सरकार के प्रति असंतोष की स्थिति बनी हुई हैं। अगर आदिवासियों के विकास की हम बात करे तो जो भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए जो आधिकार दिए है , उसका सही तरीके से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार भी कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही हैं। आदिवासियों के हिसाब से उनकी जल,जमीन जंगल और संस्कृति के आधार पर विकास करना जरुरी है। इसको ध्यान में रखकर सरकार की तरफ से एक समिति का गठन किया गया 'भूरिया समिति' इस समिति के आधार पर पेसा कानून को 73 वी संविधान संशोधन किया गया। 'पेसा कानून' बनाया गया और 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति ने अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों के लिए नए कानून को मंजूरी दे दी हैं। इसके साथ ही पंचायतों के बारे में संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 244 में दी गई महत्वपूर्ण फेरबदल के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कर दिया। यह हमारे देश का पहला कानून हैं जिसमें यह साफ तौर से माना गया हैं कि आम जन सर्व-अधिकार संपन्न और ग्राम सभा के रूप गाँव समाज का स्थान देश में सबसे ऊँचा हैं। इस कानून के आते ही आदिवासियों एक ख़ुशी की लहर आई सब तरफ नारे लगे 'हमारे गाँव में हमारा राज' सब को लगाने लगा की अब आदिवासियों का विकास हो जायेंगा, लेकिन इसका पालन सही तरीके से नहीं हो पाया। इसी के कारण यह कानून ठंडे बक्से में चला गया। इस कानून की

जानकारी आम जनता के बीच नही पहुच पाई है। पेसा कानून से संबधित जो भी जानकारी है वो सामाजिक संस्था अपने हिसाब से लोगो तक पंहुचा रही है। इसलिए गैर आदिवासियों के मन में 'पेसा कानून' को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। सरकारी स्तर पर इस कानून की जानकारी कोई नहीं देता है। जब तक इस कानून की जानकारी सामान्य लोगों तक पहुच नहीं पाती तब तक आदिवासियों का विकास नहीं होंगा। मीडिया अपना दायित्व कैसे निभा रही हैं या पेसा कानून से संबंधित कानून के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार किस तरह से प्रयास कर रहीं हैं। इसको ध्यान में रखकर प्रस्तुत विषय 'पेसा कानून के क्रियान्वयन में संचार माध्यमों की भूमिका' का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत प्रथम अध्याय में 'जनजाति का परिचय' इस अध्याय के अंतर्गत 'क्षेत्र के आधार पर भारत के आदिवासीयों का परिचय' इस उमनाम से अध्याय प्रस्तुत किया गया है, जिसकें अंतर्गत भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार जनजाति परिचय दिया हैं। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है, कि उनकी रीति-रिवाज, रहन-सहन और संस्कृति के अनुसार वहा के आदिवासी अपना जीवन यापन किस तरह व्यतीत करते हैं। इसकी जानकारी इस अध्याय में दी गई है। 'जनजाति का परिचय' इस अध्याय के अंतर्गत 'महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन' नाम से अध्याय प्रस्तुत किया गया हैं। अध्ययन में पाया कि महाराष्ट्र में कुल 47 जनजाति हैं, परंतु इस अध्याय में क्षेत्र के आधार पर महाराष्ट्र की 8 प्रमुख जनजातियों को लिया गया है। जिसमें आंध,भील,गोंड,वारली,कोरकू,धानका आदि जनजाति शामिल है। यह जनजातियाँ एक दुसरे से कैसे अलग हैं और हर जनजाति अपनी अलग पहचान से जानी जाती है,उनकी बोली भाषा, संस्कृति, व्यवहार,रहन-सहन जैसी विभिन्न भाग इस अध्याय में देखने को मिलेगा। साथ ही आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने तथा व्यक्तित्व विकास के लिए सरकार की ओर से चलाए जानी वाली योजनाओं की जानकारी द्वितीय अध्याय 'आदिवासी समुदाय और शासकीय योजनाएँ' में शामिल किया गया है। इसमें सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार की उपलब्धता, खेती करने के लिए किसानों को दी जाने वाली विभिन्न योजना आदि के बारे में इस अध्याय में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है। तृतीय अध्याय 'आदिवासी समुदाय और पेसा कानून' के अंतर्गत 'पेसा कानून का परिचय' देकर उसमें आदिवासी समुदाय, ग्राम सभा को प्राप्त अधिकार ,वन समिति जैसे विभिन्न मुद्दों का विवरण दिया गया हैं साथ ही वन अधिकार और आदिवासी समुदाय को प्रस्तुत किया हैं। यह कानून महाराष्ट्र ने किन-किन जगह पर लागू हैं इसकी जानकारी इस अध्याय में दी गई है। पेसा कानून को क्रियान्वयन में मीडिया की भूमिका क्या है? इसके लिए लोकमत (मराठी) अखबार में प्रस्तुत होने खबरों का विश्लेषण किया गया है।